उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या: 1416–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि /2023–4–काविनी/2020 टी0सी0 दिनांक: 12 जनवरी, 2024

कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम–2013 की धारा–179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल–47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनॉक 09.10.2023 को सम्पन्न बैठक की 196(2)वीं मद संख्या में लिये गये निर्णय के अनुपालन में, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 तथा उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों के समस्त संवर्गो की सेवाओं में प्रथम सीधी भर्ती के पद पर नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों/कार्मिकों से बॉण्ड मनी/सेवा अनुबन्ध पत्र सम्बन्धित निर्गत विभिन्न आदेशों यथा का0ज्ञा0सं0–1051–काविनी एवं वे0प्र0–29 दिनांक 16.09.2020 एवं संशोधनादेश सं0–225–काविनी एवं वे0प्र0–29 दिनांक 09.03.2021 आदेश सं0–45–काविनी एवं वे0प्र0–29 दिनांक 20.01.2022 तथा आदेश सं0–749–काविनी एवं वे0प्र0–29 दिनांक 20.07.2023 की लागू व्यवस्थाओं को संकलित करते हुये निम्नानुसार विभिन्न पे–मैट्रिक्स लेवल पर बॉण्डमनी की धनराशि तथा **'सेवा अनुबन्ध–पत्र'** को निष्पादित किये जाने के निर्देशों में **'हैसियत प्रमाण पत्र'** की आवश्यकता को समाप्त करते हुये एतद्द्वारा नवीन **'सेवा अनुबन्ध–पत्र'** का प्रारूप निर्गत किया जाता है :–

बॉण्डमनी की धनराशि

क्रम सं0	सीधी भर्ती के पद का सातवें वेतन आयोग का पे–मैट्रिक्स लेवल	निर्धारित बॉण्ड मनी
1	(पे–मैट्रिक्स लेवल–4) – वेतनमान रू0 27,200–86,100	रू0 75,000/–
2	(पे–मैट्रिक्स लेवल–5) – वेतनमान रू0 29,800–94,300	रू0 75,000/–
3	(पे–मैट्रिक्स लेवल–6) – वेतनमान रू0 36,800–1,16,500	रू0 1,00,000/–
4	(पे–मैट्रिक्स लेवल–7) – वेतनमान रू0 44,900–1,42,400	रू0 1,50,000/–
5	(पे–मैट्रिक्स लेवल–8) – वेतनमान रू0 47,600–1,51,100	रू0 1,50,000/–
6	(पे–मैट्रिक्स लेवल–10) – वेतनमान रू0 56,100–1,77,500	रू0 2,00,000/–
7	(पे–मैट्रिक्स लेवल–12) – वेतनमान रू0 1,23,100–2,15,900	रू0 3,00,000/–
8	(पे–मैट्रिक्स लेवल–13) – वेतनमान रू0 1,31,100–2,16,600	रू0 3,00,000/–
9	(पे–मैट्रिक्स लेवल–14) – वेतनमान रू0 1,44,200–2,18,200	रू0 4,00,000/–
10	(पे–मैट्रिक्स लेवल–15) – वेतनमान रू0 1,71,400–2,23,600	रू0 5,00,000/–

2. उक्त के अतिरिक्त निर्धारित सेवा शर्तों में बॉण्ड मनी जमा करने एवं अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराये जाने के सम्बन्ध में आदेश सं0–1051–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2020 दिनांक 16.09.2020 तथा आदेश सं0–225–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/21 दिनांक 09.03.2021 में प्राविधानित अन्य व्यवस्थायें एवं निर्देश क्रमशः आधारभूत प्रशिक्षण/आन जॉब प्रशिक्षण, बाण्ड मनी में शिथिलता के नियम, परिवीक्षा अवधि एवं नियमितीकरण से सम्बन्धित अन्य समस्त प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

क्रमशः पृष्ठ सं0........02/04

प्रारूप–'अ'

'सेवा अनुबन्ध–पत्र'

इस नियुक्ति हेतु आप एवं आपके प्रतिभू (Guarantor), जो प्रचुर साधनों से युक्त हो (आपके पिता अथवा निकट संबंधी भी हो सकते हैं) को रू0 100/– मूल्य के नॉन–जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर 01 वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त न्यूनतम 02 वर्षो तक कारपोरेशन की सेवा में रहने का सेवा अनुबन्ध–पत्र निष्पादित करना होगा। 01 वर्ष की प्रशिक्षण अवधि में अथवा प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त 02 (दो) वर्षो की सेवा अवधि में (कुल 03 वर्ष) से पूर्व कारपोरेशन की सेवा छोड़ने की दशा में आप एवं आपके प्रतिभू संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से बाण्ड मनी रू0 .... की धनराशि कारपोरेशन को अदा करेंगें।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन में नवनियुक्त .... का बाण्ड मनी रू0 .... की धनराशि हेतु प्रतिभू (Guarantor) उपलब्ध न होने की स्थिति में आ रही कठिनाई के निवारण हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है :–

(1) यदि उक्त स्थिति में जब किसी अभ्यर्थी का कोई प्रतिभू (Guarantor) नहीं बन पा रहा है तो अभ्यर्थी को किसी राष्ट्रीकृत बैंक से बाण्ड मनी रू0 .... को सम्मिलित करते कुल रू0 .... की सावधि जमा पत्र (Fixed deposit) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पक्ष में बनवाकर कुल–04 वर्षो की अवधि के लिए कारपोरेशन में बन्धक रखनी पड़ेगी।

(2) यदि कोई अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी नहीं है और उसका प्रतिभू उ0प्र0 राज्य का मूल निवासी उपलब्ध न होने की स्थिति में, वह रू0 100/– के एक नोटाराइज्ड एफीडेविट (नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र) इस आशय से प्रस्तुत करेगा कि उत्तर प्रदेश में प्रतिभू बनाये जा सकने वाला उसका कोई परिचित नहीं है। तदुपरान्त उपरोक्त उपनियम (1) के अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं।

बन्ध पत्र निष्पादन किये जाने हेतु निर्देश

प्रतिभूति बन्ध :–

1. बन्ध पत्र रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर टंकित किया जाना चाहिए यदि रू0 100/– के स्टाम्प पेपर 01 पन्ने (शीट) में उपलब्ध न हो तो, ऐसी दशा में 2 या 3 (शीट्स) जो कम मूल्य के हो परन्तु उनके मूल्य का कुल योग रू0 100/– हो, प्रयोग में लाये जा सकते हैं।
2. .... और प्रतिभू दोनों को कोरे पन्ने (शीट्स) सहित, यदि कोई हो, बन्ध पत्र के प्रत्येक पृष्ठ (पेज) पर हस्ताक्षर करना चाहिए।
3. बन्ध पत्र पर किसी प्रकार की काट–छांट, परिवर्तन अथवा पुर्नलेखन इत्यादि होने पर, प्रत्येक ऐसे स्थान पर .... एवं प्रतिभू को संक्षिप्त हस्ताक्षर करने चाहिए।
4. प्रतिभू एवं साक्षियों का पूरा नाम, पता व पद नाम का उल्लेख, उनके हस्ताक्षरों के नीचे करना चाहिए।
5. वह दिनांक, जब बन्ध पत्र मजिस्ट्रेट के सम्मुख मूलतः निष्पादित किया गया था, नहीं बदला जाना चाहिए। निष्पादन के पश्चात् बन्ध पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो दूसरे बन्ध पत्र का निष्पादन आवश्यक होगा और इस पर आने वाला व्यय .... को ही स्वयं वहन करना होगा।
6. बन्ध पत्र का निष्पादन किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सम्मुख किया जाना चाहिए तथा .... एवं प्रतिभू द्वारा प्रत्येक पन्ने पर किये गये हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय की मोहर सहित सत्यापित किये जाने चाहिए।

क्र0पृ0सं0............03

7. .... तथा प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि तथा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित करने की तिथि एक ही होनी चाहिए।

8. प्रतिभू उ0प्र0 का मूल निवासी होना चाहिए तथा उसे कम से कम रू0 ....के ऋण चुकाने में समर्थ होना चाहिए।

नोट : उपरोक्तानुसार *(हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता समाप्त करते हुये)* सेवा अनुबन्ध पत्र की नवीन व्यवस्थाओं के अतिरिक्त कारपोरेशन का0ज्ञा0सं0–1051 दिनांक 16.09.2020 एवं संशोधनादेश सं0–225 दिनांक 09.03.2021 के अन्य प्राविधान परिशिष्ट 'च' सहित यथावत् लागू रहेंगें।

'प्रारुप–ब'

(कार्मिक द्वारा रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित होना है)

बन्ध–पत्र

इस अभिलेख द्वारा सब लोगों को विदित हो कि श्री ....पुत्र/पुत्री श्री .... अस्थायी .... जो उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के नियुक्ति पत्र सं0–...................................... दिनांक ....में वर्णित शर्तो के अधीन सेवा कर रहे हैं। (एतद्पश्चात् "........................" कहलायेंगे)

एवं

श्री .... पुत्र/पुत्री श्री ....निवासी ....(एतद्पश्चात् "प्रतिभू" कहलायेंगे) एतद्द्वारा आबद्ध होते है कि (जिनमें उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, वैधानिक प्रतिनिधि एवं उत्तरवर्ती संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से,) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को (एतद्पश्चात् "कारपोरेशन" कहलायेंगे) मांगे जाने पर रू0 .... मात्र देने के बन्ध पत्रित होंगे।

दिनांक .... मास .... वर्ष......
हस्ताक्षरित
कार्मिक के हस्ताक्षर
प्रतिभू के हस्ताक्षर

यतः कारपोरेशन ने .... को नियुक्ति पत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार अस्थायी .... के रूप में नियुक्त किया है।

एवं यतः कारपोरेशन को यह आश्वस्त करने के आशय से कि .... स्वयं अपनी ओर से कारपोरेशन की सेवाओं को .... के संवर्ग में नियुक्ति के दिनांक से 01 वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात् 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने (कुल 03 वर्ष) तक नहीं छोड़ेगा, ... यह बन्ध पत्र निष्पादित करता है। अतः उपरोक्त लिखित बाध्यता की यह शर्त है कि यदि ....अपने 01 वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात् 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने (कुल 03 वर्ष) से पूर्व कारपोरेशन की सेवाओं को किसी भी समय कारपोरेशन की पूर्व अनुमति लिये बिना छोड़ेगा अथवा त्यागपत्र देगा, तब उस दशा में .... और/अथवा प्रतिभू कारपोरेशन के मांगे जाने पर बन्ध–पत्र में वर्णित धनराशि का अविलम्ब भुगतान करेंगे तथा उसके (..............) अथवा प्रतिभू द्वारा उपरोक्त धनराशि के मांगे जाने पर भुगतान करने के उपरान्त उपरोक्त बाध्यता प्रभावी नहीं होगी अन्यथा यह पूर्णरूपेण प्रभावी रहेगा।

यह सदा प्रतिबन्ध होगा कि यदि कारपोरेशन, ... की सेवा समाप्ति उपरोक्त वर्णित नियुक्ति पत्र की शर्तो के अनुसार कर देता है तो यह बन्ध पत्र निष्प्रभावी समझा जायेगा।

साक्षी :   हस्ताक्षरित

1. ....(नाम एवं हस्ताक्षर)   अभ्यर्थी...............................

2. ....(नाम एवं हस्ताक्षर)   प्रतिभू ....

---

2. उपरोक्तानुसार, कारपोरेशन एवं सहयोगी वितरण कम्पनियों के समस्त संवर्गो की सेवाओं में प्रथम सीधी भर्ती के पद पर नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों/कार्मिकों से बॉण्ड मनी/सेवा अनुबन्ध पत्र की निर्धारित व्यवस्था कारपोरेशन के सभी संवर्गो हेतु समान रूप से तत्काल समय से प्रभावी होगी तथा सभी संवर्गो की सेवा विनियमावलियों को उक्त सीमा तक संशोधित माना जायेगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

सं0: 1416–(1)–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/23 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3- प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी/प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ/म0वि0वि0नि0लि0, लखनऊ/द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।
4- समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–01 एवं स्तर–02), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
8- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
9- अपर सचिव–I/II/III, शक्ति भवन (मु0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
10- उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11- समस्त संयुक्त सचिव/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
12- उप सचिव (सचिवालय प्रशासन लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
14- कम्पनी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0 को निदेशक मण्डल की मद सं0 196(02) के निर्णय दिनांक 09.10.2023 के अनुपालन में।
15- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(सैयद आरिफ हैदर)
उप सचिव (का०वि०नी० एवं वे0प्र0)